हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

जानिए कि आपकी कार इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल क्यों बदल जाता है

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

नई दिल्ली। अपनी कार के लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी का चयन करना, अपने लिए एक बेहतरीन कार के चयन की तरह ही महत्त्वपूर्ण है। आज कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी अलग-अलग कीमतों पर उपलब्ध हैं जिनमें दुर्घटना की स्थिति में कवरेज की सीमा भी अलग-अलग होती है, लिहाजा ढेर सारे विकल्पों में से सही पॉलिसी के बारे में निर्णय लेना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए कार इंश्योरेंस प्रीमियम में शामिल विभिन्न घटकों और प्रीमियम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझना बेहद महत्त्वपूर्ण है।

कार इंश्योरेंस प्रीमियम में शामिल विभिन्न घटक

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, कार मालिकों को अपनी कार के लिए तृतीय पक्ष से बीमा पॉलिसी खरीदना 'अनिवार्य' है, ताकि यातायात दुर्घटनाओं की वजह से मृत्यु, शारीरिक चोट और/या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुक़सान की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का निर्धारण आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा किया जाता है और हर वित्त-वर्ष में इसे अद्यतन किया जाता है। कार मालिकों को आर्थिक रूप से अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी कार को किसी भी तरह के नुक़सान से बचाने के लिए अतिरिक्त कवरेज की ज़रूरत होती है। इसे ओन डैमेज कवर के तौर पर जाना जाता है और बीमा कंपनियों द्वारा ग्राहकों के अपने वाहन या प्रमुख असेंबली को नुक़सान से होने वाली देनदारियों की भरपाई के लिए पेश किया जाता है। बीमा प्रीमियम के एक बड़े हिस्से में ये दोनों घटक सम्मिलित होते हैं, जिसमें ऐड-ऑन की कीमत के रूप में एक छोटी राशि का योगदान शामिल है।

अलग-अलग घटकों की लागत को प्रभावित करने वाले कारक

आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा कार में लगे इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी के आधार पर निजी कारों के पंजीकरण के लिए लागू प्रीमियम में संशोधन किया जाता है। जिन कारों के इंजन की क्षमता 1000CC से कम होती है उन्हें बेहद कम प्रीमियम चुकाना पड़ता है, जबकि जिन कारों के इंजन की क्षमता 1500cc से अधिक होती है उन्हें थर्ड-पार्टी प्रीमियम के तौर पर अधिक रक़म का भुगतान करना पड़ता है।

वाणिज्यिक कारों के पंजीकरण के मामले में, कार में यात्रियों के बैठने की क्षमता अथवा इंजन की क्षमता, जो भी अधिक हो, के आधार पर थर्ड पार्टी प्रीमियम तय किया जाता है। हालांकि, नई किस्म की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम बहुत कम होता है। दूसरी ओर ओन डैमेज प्रीमियम का निर्धारण विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है, जो बदले में बीमाकृत घोषित मूल्य , वाहन की क्यूबिक कैपेसिटी, भौगोलिक स्थिति तथा ग्राहक द्वारा चयनित ऐड-ऑन बीमा कवर को तय करता है। इसके अलावा, कार के मालिक द्वारा अतीत में किए गए दावे भी बीमा के प्रीमियम में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। अगर किसी कार का मालिक नो क्लेम बोनस के योग्य है, जो ओन डैमेज प्रीमियम का 50 प्रतिशत तक है, तो उसे बीमा प्रीमियम में छूट दी जाती है।

कार इंश्योरेंस के प्रीमियर में बदलाव, ऊपर बताए गए इन सभी कारकों के आधार पर तय होता है। इसलिए अगली बार कार इंश्योरेंस खरीदने या इसे रिन्यू करने से पहले, इनमें से प्रत्येक घटक के मूल्य निर्धारण को अच्छी तरह समझना महत्त्वपूर्ण है। कार के मालिक के तौर पर अपने अनुभव को परेशानियों से मुक्त बनाने के लिए, सोच-समझकर इंश्योरेंस पॉलिसी का चयन करें।

लेखक: श्री राकेश जैन,
सीईओ, रिलायंस जनरल
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड